रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2015/माघ 16, 1936
No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2015/MAGHA 16, 1936

IndiaCode

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2015

सा.का.नि.74 (अ).—स्वापकऔषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा : —

2. (1) इस नियमावली को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 की अनुसूची 1 में उपशीर्ष II, "मन:प्रभावी पदार्थ" के अंतर्गत, मद 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"4	मीफेड्रोन	4-मेथाइलमेथकैथीनोन (4-एमएमसी) 4 मेथाइलफेड्रोन	(आरएस)-2 मेथाइलएमीनो-1-(4- मेथाइलफेनाइल) प्रोपान-1-वन
5.	उपर्युक्त के लवण और विर्निमितियाँ ".		

[फा.सं. एन-11011/2/2014-एनसी-II (2)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

नोट- प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में, सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के तहत् प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 786 (अ), दिनांक 26 अक्तूबर, 1992, का.आ. 599 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 748 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्तूबर, 1994, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350 (अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 763 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639 (अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2006, सा.का.नि. 2 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, का.आ. 1661 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का.आ. 739 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011, सा.का.नि. 470(अ), दिनांक 21 जून, 2011, सा.का.नि. 905(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 और सा.का.नि. 426(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2014 के द्वारा संशोधन किया जाता रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2015

G.S.R. 74 (E).- In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in Schedule I, under sub-heading II "Psychotropic Substances", for item 4 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"4.	Mephedrone	4-methylmethcathinone (4-MMC) 4-methylephedrone	(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl) propan-1-one
5.	Salts and preparations of above".		

[F. No. N/11011/2/2014-NC-II (2)]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated 28th December, 2011 and G.S.R. 426(E), dated 1st July, 2014 .

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.